(राजस्थान–सरकार)

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, बारॉ (राज.)

पीठासीन अधिकारी सत्यनारायण आमेटा (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्या :– 03/2022
रजिस्ट्रेशन सं0 :– 2022/18

बउनवान

राज0 सरकार जर्ये खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारॉ

(प्रार्थी)

बनाम

1. श्री सुरेन्द्र राठौर पुत्र राम स्वरूप राठौर जाति राठौर निवासी आदर्श स्कूल के पास, सीसवाली जिला बाराँ(मौके पर मौजूद विक्रेता एवं मालिक)मैसर्स हनिशा प्रोविजन स्टोर, कोटा रोड, सीसवाली जिला बारां
2. श्री महावीर प्रसाद गहलोत पुत्र मदन लाल निवासी मालियों के मन्दिर के पास, अन्ता जिला बारां(डिलर) गहलोत एजेन्सी, बमोरी रोड, अन्ता जिला बारां
3. मैसर्स रिद्धी सिद्ध ट्रेडर्स, 12, वीर सावरकर ब्लॉक, मण्डोर मण्डी जोधपुर
4. मैसर्स बी.बी. डेयरी प्रोडक्टस, वर्क मुखी स्टेट पेट्रॉल पम्प के पास बाजवा, जिला वडोदरा–391310

(अप्रार्थीगण)

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2 (II) एफएसएस एक्ट 2006 एवं विनियम 2011

उपस्थिति :– 1– श्री महेश कुमार शर्मा खा.सु.अ. (प्रार्थी)
2– कम्पनी का प्रतिनिधि उपस्थित (अप्रार्थीगण)

निर्णय दिनांक 18.05.2022

प्रकरण राजस्थान सरकार जर्ये खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारॉ द्वारा इस आशय का पेश किया कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 24.02.2021 को मैसर्स हनिशा प्रोविजन स्टोर, कोटा रोड, सीसवाली जिला बारां पर पहुंचा। वहॉ पर श्री सुरेन्द्र राठौर पुत्र राम स्वरूप राठौर(मौके पर मौजूद विक्रेता एवं मालिक) की हैसियत से उपस्थित था, कि उपस्थिति में निरीक्षण किया गया।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 24.02.2021 को कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारॉ मे खाद्य सुरक्षा अधिकारी का कार्य सम्पादित कर रहा था और उसे राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना नोटिफिकेशन क्रमांक/एच/पीएफए/नोटिफिकेशन/2011/440 दिनांक 25.07.2011 के अनुसार खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद पर नियुक्त किया गया है। श्रीमान् आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं निदेशक (जन स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राज. जयपुर के आदेश क्रमांक 1041 दिनांक 31.12.2020 के अनुसार उनको कार्य क्षेत्र जिला बारॉ आवंटित किया गया है और जिला बारॉ के अन्तर्गत आने वाले समस्त स्थानीय क्षेत्र [illegible] कार्य क्षेत्र मे आते है।

यह कि आवेदक द्वारा [illegible] किया जहॉ [illegible] खाद्य पदार्थ घी(Baba Cow ghee) 500gm जार पैक में आम जनता को विक्रय हेतु रखा हुआ था। [illegible] अपना परिचय पत्र [illegible] परिचय दिया एवं विक्रेता से परिचय लिया। विक्रेता से मौके पर खाद्य [illegible] घी(Baba Cow ghee) 500gm में मिलावट का शक होने पर नमूना लेने हेतु विक्रेता को अवगत कराया गया। तत्पश्चात् नमूना वास्ते जांच हेतु लेने की सूचना फार्म नं0 5ए की प्रति स्वतंत्र गवाह की उपस्थिति मे तैयार कर विक्रेता को देकर प्राप्ति रसीद ली जिसकी प्रति आवेदन के साथ संलग्न है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan Ameta
Date: 2022.07.08 10:55:57 IST
Reason: SelfAttested

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी, बारॉ द्वारा खाद्य पदार्थ घी(Baba Cow ghee) 500gm के 04 जार पैक वास्ते नमूना जांच हेतु खरीदे जिसकी कीमत श्री सुरेन्द्र राठौर पुत्र राम स्वरूप राठौर (मौके पर मौजूद विक्रेता एवं मालिक) को 900/– रूपये (अक्षरे नौ सौ रूपये) नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर तथा उपस्थित गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं आवेदक ने हस्ताक्षर किये जिसकी प्रति आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक ने खरीदशुदा खाद्य पदार्थ घी(Baba Cow ghee) 500gm के 04 जार पैक को चार नमूना भागों में कर प्रत्येक 02 पॉलीपैक के मूल पैकेट पर हीं लेबल तैयार कर प्रत्येक नमूने भाग पर चिपकाये और लेबलों पर डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक ए.एच.–1161 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं मालिक तथा गवाहान के हस्ताक्षर कराये। चारों नमूना भागों को अलग–अलग कागज में लपेट कर प्रत्येक नमूना भाग पर डी.ओ. बारां की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप नं. ए.एच.–1161 नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से ऊपर तक फेविकोल से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर मालिक के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर आवे एवं सीलबन्द नमूनों पर गवाह के हस्ताक्षर कराकर नमूने का पूर्ण विवरण लिखकर मेरे द्वारा हस्ताक्षर कर चारों नमूना भागों को अपने जाप्तें में लिया।

आवेदक ने मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता एवं गवाहान को पढकर, सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा, जिसे श्री सुरेन्द्र राठौर पुत्र राम स्वरूप राठौर(मौके पर मौजूद विक्रेता एवं मालिक) ने भी पढकर, समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये।

आवेदक ने कार्यालय पहुंच कर फार्म नं. 6 की प्रतियॉ तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग मय फार्म नं0 6 की प्रति के आउटर कवर मे सीलबन्द कर सील मोहर कर एवं एक प्रति फार्म नं0 6 की अलग से सील्ड लिफाफे मे स्वंय द्वारा खाद्य विश्लेषक, कोटा को जमा कराकर रसीद प्राप्त की। जो आवेदन के साथ संलग्न है। दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म सं0 6 की दो प्रतियों के आउटर कवर में सील बन्द कर तथा नमूने का चौथा भाग मय फार्म नं0 6 की प्रति के अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारां को जमा कराकर रसीद प्राप्त की जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारॉ के पत्र क्रमांक/एफएसएसए/2020/62 दिनांक 08.03.2021 से ज्ञात हुआ कि जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला, कोटा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 87/PHL/kota/Act/2021/134 दिनांक 05.03.2021 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जांच हेतु विक्रय किया गया खाद्य पदार्थ घी(Baba Cow ghee) 500gm खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 व विनियम, 2011 की धारा 3(1)(zf)(c)(i) के तहत **मिथ्याछाप (Mis Branded)** होना पाया गया। रिपोर्ट आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक ने अनुसंधान हेतु मैसर्स हनिशा प्रोविजन स्टोर, कोटा रोड, सीसवाली जिला बारां से पत्रांक 63 दिनांक 08.03.2021 से सूचना चाही, जिस पर मैसर्स हनिशा प्रोविजन स्टोर, कोटा रोड, सीसवाली जिला बारां द्वारा प्रतिउत्तर में क्रय बिल एवं आधार कार्ड की प्रति कार्यालय में पेश की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan Ameta
Date: 2022.07.08 10:55:57 IST
Reason: SelfAttested

इस पर प्रकरण दिनांक 03.02.2022 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर, अप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड सम्मन से तलब किया गया। अप्रार्थीगण की ओर से कम्पनी के प्रतिनिधि द्वारा उपस्थिति दी गई है। प्रकरण में कम्पनी के प्रतिनिधि द्वारा जवाब प्रस्तुत न कर अंतिम बहस सुनी जाने हेतु निवेदन करने पर अप्रार्थीगण का जवाब बन्द किया जाकर उभयपक्ष की अंतिम बहस सुनी गई।

राजस्थान सरकार जरिये प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी, बारां ने परिवाद में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा कथन किया कि अप्रार्थीगण द्वारा जिस खाद्य पदार्थ **घी(Baba Cow ghee) 500gm** को वास्ते नमूना जांच हेतु विक्रय किया गया था, वह जॉच रिपोर्ट में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 व विनियम 2011 की धारा 3(1)(zf)(c)(i) के तहत **मिथ्याछाप(Mis Branded)** होना पाया गया। अप्रार्थीगण का उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 एवं विनियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(।।) के तहत एवं बिना खाद्य अनुज्ञा पत्र/रजिस्ट्रेशन के विक्रय उप धारा 2(v) के तहत अपराध की श्रेणी में आता है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 एवं विनियम, 2011 की धारा 52 एवं धारा 58 में निर्धारित है। अतः अप्रार्थीगण को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

अप्रार्थीगण की ओर से कम्पनी के प्रतिनिधि द्वारा दौराने बहस निवेदन किया गया कि सेम्पल में लिए गए घी में किसी भी प्रकार की कोई मिलावट नहीं पाई गई है। पैकिंग में मिथ्याछाप होना पाया गया है जिसके सम्बन्ध में निवेदन है कि कम्पनी द्वारा नए पैकिंग में उक्त कमी को सही कर लिया जावेगा। अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रस्तुत की गई कार्यवाही निरस्त की जावें।

प्रार्थी राजस्थान सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी बारॉ द्वारा कहा गया कि अप्रार्थी क्रम 1 यदि जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला, कोटा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 87/PHL/kota/Act/2021/134 दिनांक 05.03.2021 से असन्तुष्ट था तो अप्रार्थी क्रम 1 को जरिये पत्र सूचित किया जाकर एक माह का समय दिया गया था कि उक्त सेम्पल की पुनः जॉच करवाये किन्तु अप्रार्थी क्रम 1 द्वारा उक्त सेम्पल की पुनः जॉच नहीं करवाई गई है।

प्रकरण में उभयपक्ष की अंतिम बहस सुनी गई और पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया गया। प्रकरण में अप्रार्थी क्रम 1 से वास्ते नमूना जॉच हेतु क्रय किया गया खाद्य पदार्थ **घी(Baba Cow ghee)500gm** जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला, कोटा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 87/PHL/kota/Act/2021/134 दिनांक 05.03.2021 के अनुसार, खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 व विनियम 2011 की धारा 3(1)(zf)(c)(i) के तहत **मिथ्याछाप (Mis Branded)** होना पाया गया। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 एवं विनियम, 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(।।) के तहत एवं बिना खाद्य अनुज्ञा पत्र/रजिस्ट्रेशन के विक्रय उप धारा 2(v) के तहत अपराध की श्रेणी में आता है। जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 एवं विनियम, 2011 की धारा 52 एवं धारा 58 के तहत अप्रार्थीगण को कुल जुर्माना राशि 11,000/— रूपये (अक्षरे ग्यारह हजार रूपये) के आर्थिक दण्ड से दण्डित किया जाता है। अप्रार्थी उक्त जुर्माना राशि ई—मित्र सेवा केन्द्र से चालान निकलवाकर, जरिये चालान बैंक मे **निर्धारित मद 0210 चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य, 04 लोक स्वास्थ्य, 800 अन्य प्राप्तियां, 03 खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञा पत्र शुल्क आदि** में जमा करवाकर, चालान की प्रति इस न्यायालय मे अन्दर एक माह प्रस्तुत करे।

निर्णय आज दिनांक **18.05.2022** को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan Ameta
Date: 2022.07.08 10:55:57 IST
Reason: SelfAttested

(सत्यनारायण आमेटा)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अति0 जिला मजिस्ट्रेट,
बारॉ (राज.)